भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

25.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5392 का उत्तर

तिरुपुर जिले के रागल पावी में अंडरपास की खराब स्थिति

5392. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिरुपुर जिले में उदुमलपेट के निकट रागल पावी पंचायत में स्थित रेलवे अंडरपास की अपर्याप्त रखरखाव के कारण कीचड़ और मिट्टी से भरे होने की सूचना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मानसून के मौसम के दौरान उक्त अंडरपास में वर्षा का पानी जमा हो जाता है जिससे मोटर चालकों और जनता को असुविधा, यातायात बाधित और कठिनाई होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त स्थान पर जल निकासी की उचित सुविधाओं और समय-समय पर गाद निकालने/रख-रखाव के अभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) जमा हुई कीचड़ और मिट्टी को साफ करने, जल निकासी अवसंरचना में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार के जलभराव की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्तावों की स्वीकृति एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों की प्राथमिकता निर्धारण और उन्हें शुरू करने का कार्य रेल परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव और व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

भारतीय रेल में 2004-14 की तुलना में 2014-26 (जनवरी 2026 तक) की अवधि के दौरान निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:-

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद।
2014-26 (जनवरी, 2026 तक)	14,024 अदद (तमिलनाडु राज्य में 777 अदद सहित)

01.02.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में 1,14,196 करोड़ रु. की लागत से 4,802 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें तमिलनाडू राज्य में 4891 करोड़ रुपए की लागत पर 236 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल शामिल हैं, जो नियोजन और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

किमी 96/213-219 पर स्थित समपार सं. 99 के स्थान पर, उडुमलैप्पेटै के निकट तिरुप्पूर जिले के रगल पावी पंचायत में निचले सड़क पुल (आर.यू.बी.) का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। बहरहाल, भूमिगत मार्ग के पहुंच मार्ग पर भूमि के स्वामित्व संबंधी विवाद के कारण कार्य रोक दिया गया था। हाल ही में भूमि स्वामित्व से संबंधित मुद्दों को हल किया गया है और काम फिर से शुरू कर दिया गया है।

रेलपथ को पार करने के लिए जनता दवारा उक्त स्थान के निकटवर्ती दो समपारों, अर्थात् 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित समपार सं. 95/100-200 और 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित समपार सं. कि.मी. 98/000-100 पर समपार सं.100 का उपयोग किया जा रहा है।

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों का पूरा होना समपार को बंद करने की सहमति देने मं राज्य सरकार के सहयोग, पहुँच संरेखण को अंतिम रूप देने, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, परियोजना/कार्य स्थल क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण-कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सामान्य व्यवस्था आरेख को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है।

(ii) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान देरी से बचने के लिए रेलवे के हिस्से पर सड़क के स्पैन, तिरछापन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिसंरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे शीघ्र नियोजन के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए सीधे अपनाया जा सकता है।

रेलवे ने जलजमाव की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- नए निचले सड़क पुल/अंडरपास योजना में पर्याप्त जलनिकासी की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भाग है।
- मौजूदा निचले सड़क पुल/अंडरपास में सुधारात्मक उपायों के रूप में अर्थात् पानी के प्रवाह को नजदीकी पुल और नालों/नालियों की ओर मोड़ना, पहुंच मार्गों पर कवर शेड की व्यवस्था करना, निचले सड़क पुल के प्रवेश पर हंप की व्यवस्था करना, क्रॉस-ड्रेन की व्यवस्था करना, जोड़ों को सीलबंद करना आदि कार्य व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं।
- इसके अलावा, चिह्नित किए गए निचले सड़क पुलों के लिए पंप की व्यवस्था भी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में जल की शीघ्र निकासी की जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षा के लिए असामान्य/असाधारण वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात रोकने की सुविधा हो।
